582 / 22

शासन पुलिस कुंभराज विरूद्ध संजू अहिरवार

08.07.2024 राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 उपस्थित।

प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नियत है।

अभियुक्त को जारी गिरफ्तारी वारंट तामील/अदम तामील वापस प्राप्त नहीं।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में दिनांक 18.10.2022 को अभियुक्त की अनुपस्थिति में धारा 379 भा.दं.स. के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात प्रकरण में अभियुक्त की उपस्थिति बावत निरंतर वारंट जारी किये जा रहे हैं, जो कि अदम तामील वापस प्राप्त हुये हैं। प्रकरण एक वर्ष से अधिक पुराना है, किन्तु अभियुक्त की उपस्थिति अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पायी है, तब यह दर्शित होता है कि अभियुक्त जान बूझकर अपनी उपस्थिति छिपा रहा है। उपरोक्त परिस्थितियों में न्यायालय को इस बात का समाधान होता है कि अभियुक्त फरार हो गया है और उसके निकट भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है।

अतः अभियुक्त **संजू अहिरवार पुत्र रोडीलाल अहिरवार** की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनके विरूद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट धारा 70 (2) सहपठित धारा 299 द.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुसार जारी किये जावे। जारी वारंट उस समय तक प्रवर्तन में रहेगे जब तक कि जारी करने वाले न्यायालय द्वारा उन्हें रदद नहीं कर दिया जाता या जब तक कि वारंट निष्पादित नहीं कर दिया जाता। वारंट पर यह टीप अंकित की जावे कि प्रकरण अभियुक्त की प्रथम उपस्थिति हेतु नियत है।

ए.डी.पी.ओ. के द्वारा निवेदन किया गया कि दंड प्रकिया संहिता की धारा 309 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित होने तक प्रकरण की कार्यवाही मुल्तवी किए जाने का निवेदन किया। उनके निवेदन को स्वीकार किया गया। अभियुक्त के स्थाई वारंट की प्राप्ति आदेश पत्रिका के हासिये पर ली जाकर संबंधित आरक्षी केन्द्र से उक्त वारंट का आवक नंबर मंगाया जाये।

अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित होने तक प्रकरण सुरक्षार्थ अभिलेखागार भेजा जावे।

सही/–
(श्रीमती आकांक्षा कत्याल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चॉचौडा, जिला गुना